कार्यालय मुख्यकार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक/ 23234 /पैरामेडि./एम.सी./2025 रीवा, दिनांक : 28/8/25

पैरामेडिकल पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2024–25 में प्रवेश हेतु विज्ञापन सह–नियमावली

रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश सह–चिकित्सीय परिषद् के आदेश पृष्ठांकन क्र./F-56(1)/कालेज/A24G0167/2019/2025 भोपाल, दिनांक 15.07.2025 के अनुक्रम में स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा में शैक्षणिक सत्र 2024–25 के लिये विभिन्न स्व–वित्तपोषित पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन MP Online के माध्यम से निम्नानुसार आमंत्रित किये जाते हैं:–

I. पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु महत्वपूर्ण तिथियां:–

आवेदन प्रारंभ की तिथि	03 सितम्बर, 2025
आवेदन की अंतिम तिथि	15 सितम्बर, 2025
आवेदन में त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि	17 सितम्बर, 2025
स्क्रूटनी/काउंसिलिंग एवं प्रवेश की तिथि	22 सितम्बर, 2025 से प्रारम्भ (विस्तृत सूचना पृथक से जारी की जावेगी)
काउंसलिंग स्थल	डी.एन.एस.चौधरी हॉल चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)
आवेदन शुल्क	अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को रू. 700/– तथा आरक्षित वर्ग (SC/ST/OBC/EWS) के अभ्यर्थी को रू 500/–(MP Online Portal Chargeअतिरिक्त देय होगा)

II. पाठ्यक्रम एवं उपलब्ध सीटों का विवरण:–

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम की अवधि	स्वीकृत सीट
1.	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	02 वर्ष	30
2.	X-RAY (RADIOGRAPHER) TECHNICIAN	DIPLOMA	02 वर्ष	10
3.	ANAESTHESIA TECHNICIAN	DIPLOMA	02 वर्ष	20
4.	MICROBIOLOGY	DIPLOMA	02 वर्ष	20
5.	CATH LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	02 वर्ष	10
6.	DIALYSIS TECHNICIAN	DIPLOMA	02 वर्ष	20
7.	DIPLOMA IN PFT TECHNICIAN	DIPLOMA	02 वर्ष	10
8.	OPTROMETRIC REFRACTION	DIPLOMA	02 वर्ष	15
9.	ORTHO TECHNICIAN	CERTIFICATE	01 वर्ष	20
10.	E.C.G. TECHNICIAN	CERTIFICATE	01 वर्ष	20
11.	O.T. TECHNICIAN	CERTIFICATE	01 वर्ष	10
12.	HEALTH INSPECTOR	CERTIFICATE	01 वर्ष	10
13.	HOSPITAL MEDICAL RECORD SCIENCE	CERTIFICATE	01 वर्ष	10

नोट :–आवेदन करने हेतु विस्तृत जानकारी तथा नियम एवं निर्देश चिकित्सा महाविद्यालय की वेबसाइट www.ssmcrewa.ac.in एवं mponline की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

(a) इस सूची में नए पाठ्यक्रम जोडने या हटाने तथा सीटों की संख्या में संशोधन के लिए संस्थान के पास अधिकार है।

(b) सीटों का आरक्षण/आवंटन म.प्र. शासन के नियमानुसार होगा।

डॉ० लोकेश त्रिपाठी
नोडल अधिकारी

DEAN
S.S.Medical College
Rewa (M.P.)

(c) प्रत्येक वर्ग में क्षैतिज रूप से 33 प्रतिशत सीट महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगी।

(d) दिव्यांग प्रवर्ग—ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी, जो म.प्र. के मूल निवासी हैं, उनके लिए शासन के नियमानुसार संबंधित संवर्ग में 5% सीटें आरक्षित रहेंगी। यह आरक्षण क्षैतिज होगा।

(e) शासकीय सेवारत विभागीय कर्मचारियों हेतु प्रत्येक पाठ्यक्रम में कुल सीटों का 10 प्रतिशत सीटें आरक्षित रहेंगी।

III. **प्रशिक्षण हेतु शैक्षणिक शुल्क का विवरण:—** रजिस्ट्रार, म.प्र. सह—चिकित्सीय परिषद के पत्र क्रमांक/F-26/कॉलेज—2024—2025/1701/2025 भोपाल, दिनांक 26.06.2025 के अनुसार निम्नानुसार शैक्षणिक शुल्क निर्धारित है :—

पाठ्यक्रम	शैक्षणिक शुल्क (सत्र 2024—25 हेतु) प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष
DIPLOMA	रू. 60,270 (रू. 55,270/—शैक्षणिक शुल्क + रू. 5,000/— सुरक्षा निधि)	रू. 55,270/
CERTIFICATE	रू. 44,910 (रू. 39,910/—शैक्षणिक शुल्क + रू. 5,000/— सुरक्षा निधि)	—

IV. a) **शैक्षणिक योग्यता:—**डिप्लोमा / सर्टिफिकेट कोर्स के लिए उम्मीदवार को भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान (पीसीबी) में कम से कम 40% अंकों के साथ 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। एससी /एसटी /ओबीसी उम्मीदवारों के मामले में उपरोक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 5% अंकों की छूट दी जाएगी। (The candidate must have passed 10+2 with at least 40% marks inaggregate of Physics, Chemistry and Biology (PCB) for Diploma/Certificate Courses. In case of SC/ST/OBC candidates, 5% marks relaxation will be given for the admission in above said courses.)

b) **पैरामेडिकल पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2024—25 हेतु आवेदन आमंत्रित किये जा रहें है जिसमें शैक्षणिक सत्र 2023—24 अथवा उससे पूर्व हायरसेकण्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवार ही आवेदन करने के लिये पात्र होंगे।**

V. **अन्य नियम एवं शर्तें:—**

1. **आवेदन शुल्क :—**

विवरण	आवेदन शुल्क
अनारक्षित वर्ग के आवेदकों हेतु	रू. 700/—(MP online का पोर्टल चार्ज अतिरिक्त देय होगा)
आरक्षित वर्ग (SC/ST/OBC/EWS) के आवेदकों हेतु	रू. 500/—(MP online का पोर्टल चार्ज अतिरिक्त देय होगा)
आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु	MP online द्वारा निर्धारित पोर्टल चार्ज

2. पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु केवल ऑनलाइन माध्यम से MP online के द्वारा किये गये आवेदनों पर ही विचार किया जावेगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार से प्राप्त आवेदन पत्रों को मान्य नहीं किया जावेगा।

3. समस्त पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु एक ही आवेदन मान्य किया जावेगा, प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु पृथक—पृथक आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

4. आवेदक नियम एवं निर्देशों का भली भांति अध्ययन करने के उपरांत ही आवेदन प्रस्तुत करें तथा आवदेन में दी गई जानकारी सही हो जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी। स्क्रूटनी/काउंसिलिंग के दौरान यदि आपके द्वारा दी गई जानकारी झूठी पाई जाती है तो आवेदन को निरस्त कर दिया जावेगा तथा पुनः उस पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

डॉ. लोकेश त्रिपाठी
नोडल अधिकारी

DEAN
S.S.Medical College
Rewa (M.P.)

5. ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त आवेदनों की मैरिट सूची MP online के द्वारा तैयार की जावेगी। संस्थान में प्रवेश एवं पाठ्यक्रमों में सीट का आवंटन इसी मैरिट सूची के आधार पर किया जावेगा। डिप्लोमा/सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु मेरिट का निर्धारण हायर सेकेण्ड्री (10+2) की परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर किया जावेगा।

6. मैरिट सूची में अंक समान होने की स्थिति में निम्नानुसार वरीयता दी जावेगी :–
   (क) उम्र में वरिष्ठ आवेदक को वरीयता दी जावेगी।
   (ख) यदि अंक एवं उम्र समान पायी जाती है तो वरीयता क्रम में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान में अधिक अंक रखने वाले को वरीयता दी जावेगी।
   (ग) यदि अंक, उम्र एवं जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान में अंक समान हैं तो, जीव विज्ञान में अधिक अंक रखने वाले को वरीयता दी जावेगी।

7. पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में सीट आवंटित होने के पूर्व आवेदकों को मैरिट के आधार पर स्क्रूटनी/डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिये आमंत्रित किया जावेगा। जिसकी सूचना महाविद्यालय की वेबसाइट www.ssmcrewa.ac.inपर प्रदर्शित की जावेगी। डाक्यूमेंट वेरीफिकेशन के उपरांत ही आवेदक काउंसिलिंग के लिए पात्र होंगे।

8. काउंसिलिंग की तिथि में किसी भी प्रकार का बदलाव होने की सूचना महाविद्यालय की वेबसाइट www.ssmcrewa.ac.inपर प्रदर्शित की जावेगी। अतः समस्त आवेदक नियमित रूप से महाविद्यालय की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।

9. आवेदक की आयु 31 दिसम्बर 2024 को 17 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

10. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु महिलाओं एवं निःशक्तजनों को आरक्षण का लाभ म.प्र. शासन के नियमानुसार दिनांक 02 जुलाई 2024 को प्रकाशित म.प्र. राजपत्र (असाधारण) के अनुसार देय होगा।

11. आरक्षित वर्ग के आवेदकों को स्क्रूटनी/काउंसलिंग के समय सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

12. आवेदक को स्क्रूटनी/काउंसिलिंग के समय सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त म.प्र. का मूल निवासी होने संबंधी निवास प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

13. आवेदक को स्क्रूटनी/काउंसिलिंग के दौरान स्थानांतरण प्रमाण–पत्र एवं प्रवर्जन (माइग्रेशन) प्रमाण–पत्र की मूलप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

14. काउंसिलिंग में उपस्थित होने के लिए किसी भी प्रकार का दैनिक भत्ता/यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

15. आवेदक को काउंसिलिंग के दिन पाठ्यक्रम आवंटन के समय ही समस्त शैक्षणिक शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने की स्थिति में उक्त पाठ्यकम को अगली मेरिट वाले छात्र/छात्रा को आवंटित कर दिया जायेगा तथा इस संबंध में किसी भी प्रकार का पत्राचार स्वीकार नहीं किया जायेगा। पाठ्यकम शिक्षण अवधि के बीच में छोडने की स्थिति में शिक्षण शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस देय नहीं होगा।

16. छात्रों को समस्त शुल्क स्वयं जमा करना होगा। छात्रों को म.प्र. शासन द्वारा अधिसूचित विभिन्न योजनाओं का लाभ शासकीय छात्रवृत्ति पोर्टल के अनुसार संचालित योजनाओं के अधीन पात्रता नियमानुसार प्राप्त होगी, यदि संबंधित विभाग द्वारा छात्रवृत्ति विलम्ब से अथवा स्वीकृत नहीं की जाती है तो इस संबंध में महाविद्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

17. स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा के अंतर्गत संचालित समस्त पैरामेडिकल पाठ्यक्रम नियमित एवं पूर्णकालिक है। पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में अध्ययन के दौरान छात्र को किसी भी अन्य पाठ्यक्रम में अध्ययन तथा नियमित नौकरी (सेवारत अभ्यर्थी को छोड़कर) करने की पात्रता नहीं होगी। छात्र को इस आशय का शपथ–पत्र रू. 100/– के नॉन ज्युडिसियल स्टॉम्प में प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

18. विभागीय कर्मचारियों के लिए शासन के नियमानुसार 10% सीटें आरक्षित रहेंगी। विभागीय कर्मचारियों को अनापत्ति प्रमाण–पत्र केवल संचालक स्वास्थ सेवायें म.प्र. भोपाल/संबंधित संस्था के संस्था

डॉ० लोकेश त्रिपाठी
नोडल अधिकारी
पैरामेडिकल पाठ्यक्रम

DEAN
S.S.Medical College
Rewa (M.P.)

प्रमुख का ही मान्य होगा। विभागीय कर्मचारी न होने पर उक्त आरक्षित सीटें संबंधित वर्ग के पात्र आवेदकों से भरी जायेगीं।

19. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए म.प्र. राज्य के मूलनिवासी आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी, सीट रिक्त होने की स्थिति में अन्य राज्य के आवेदकों को उनकी योग्यता/मेरिट लिस्ट के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा। आरक्षण का लाभ केवल म.प्र. राज्य के मूल निवासी आवेदकों को ही दिया जाएगा।

20. निम्नलिखित अनुक्रम में श्रेणी के अनुसार मेरिट–कम–आप्शन के आधार पर काउंसिलिंग की जायेगी:–

1. विभागीय कर्मचारी 2. दिव्यांग श्रेणी 3. कॉमन मैरिट

यदि किसी श्रेणी में आरक्षण की सीमा तक योग्य आवेदक उपलब्ध नहीं है, तो रिक्त सीटों को अन्य श्रेणियों में उपलब्ध कराकर भरा जाएगा, जैसा कि नीचे दिया गया है:–

(a) एस.टी. श्रेणी की खाली सीटों को एस.सी. श्रेणी के आवेदकों द्वारा भरा जाएगा।

(b) एस.सी. श्रेणी की खाली सीटों को एस.टी. श्रेणी के आवेदकों द्वारा भरा जाएगा।

(c) अगर एस.टी. ओर एस.सी. श्रेणी में आरक्षण के लिए योग्य आवेदक उपलब्ध नहीं है तो रिक्त सीटों को ओ.बी.सी. श्रेणी के आवेदकों द्वारा भरा जाएगा।

(d) यदि पात्र आवेदक उपरोक्त तरीके से तीन आरक्षित श्रेणियों में ऊपर के चरणों में उपलब्ध नहीं हैं तो रिक्त सीटों को पात्र अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों द्वारा भरा जाएगा।

21. जिस पाठ्यक्रम में 05 से कम छात्र प्रवेश लेते हैं, ऐसे पाठ्यक्रमों को संचालित कराना संभव नहीं होगा। ऐसे छात्र अपनी जमा शुल्क वापस ले सकते हैं अथवा अन्य पाठ्यक्रम के रिक्त सीट में मेरिट के आधार पर प्रवेश ले सकते हैं।

22. विज्ञप्ति सीटों की संख्या परिस्थितियों के अनुसार बढाई/घटाई जा सकती है जिसका पूर्ण अधिकार संस्था को होगा।

23. शिक्षण शुल्क जमा होने के बाद किसी भी स्थिति में वापस देय नहीं होगा तथा इस संबंध में किसी भी प्रकार का पत्राचार स्वीकार नहीं किया जायेगा।

24. न्यायालयीन परिवादों के निराकरण का कार्यक्षेत्र जिला न्यायालय रीवा (म.प्र.) होगा।

25. प्रवेश के समय स्थानांतरण एवं माईग्रेशन प्रमाण–पत्र की मूल प्रति जमा करना अनिवार्य होगा। मूल स्थानांतरण एवं माईग्रेशन प्रमाण पत्र के अभाव में प्रवेश निरस्त कर दिया जावेगा तथा **काउंसिलिंग के समय जमा शिक्षण शुल्क वापस नहीं की जावेगी।**

26. छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क, नामांकन शुल्क, सम्बद्धता शुल्क एवं शासन द्वारा निर्धारित देय होगा।

27. प्रवेश के समय आरक्षित वर्ग (ओ.बी.सी. एवं ई.डब्ल्यू.एस.) के आवेदकों को अपने अभिभावकों के आय प्रमाण–पत्र की मूल प्रति जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो जमा करना अनिवार्य होगां।

28. स्क्रूटनी/डाक्यूमेंट वेरीफिकेशन दिनांक को समस्त उम्मीदवारों को प्रातः 10:00 बजे निम्न दस्तावेजों की मूलप्रति तथा 01 सेट स्वप्रमाणित छायाप्रति तथा 05 नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो लाना अनिवार्य होगा। किसी भी दस्तावेज की मूलप्रति न होने पर स्क्रूटनी एवं काउंसिलिंग प्रकिया से वंचित करने का अधिकार प्रवेश समिति का रहेगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से उम्मीदवार की होगी।

(a) 10वीं की अंकसूची (जन्मतिथि प्रमाण हेतु)

(b) 12वीं की अंकसूची (भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान विषय के साथ)

(c) स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति।

(d) माइग्रेशन प्रमाण पत्र की मूल प्रति।

(e) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग हेतु)

(f) अन्य पिछडा वर्ग अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र।

डॉ० लोकेश त्रिपाठी
नोडल अधिकारी

DEAN
S.S.Medical College
Rewa (M.P.)

(g) ई.डब्ल्यू.एस. वर्ग अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।

(h) दिव्यांग प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।

(i) 05 पासपोर्ट साइज फोटो।

(j) विभागीय कर्मचारियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की मूलप्रति।

(डॉ. सुनील अग्रवाल)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता,
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

डॉ० लोकेश त्रिपाठी
नोडल अधिकारी
पैरामेडिकल अनुभाग